# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

**प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/0359 विरूद्ध आदेश दिनांक 1-12-2017** पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक राजधानी परियोजना नजूल टी.टी. नगर, भोपाल **प्रकरण क्रमांक** 13/अ-12/17-18.

---

1. कुलदीप कामरा पुत्र बोधराज कामरा
   निवासी सी-88, सेक्टर, 49
   नोएडा उत्तरप्रदेश
2. अजीत सिंह चौहान पुत्र महेन्द्र सिंह चौहान
   निवासी फ्लेट क्रमांक एस. 202
   ओमेन निवास, भूखण्ड क्रमांक 27
   रचना नगर, गोविंदपुरा, भोपाल .................आवेदकगण

विरूद्ध

शैलेन्द्र चौधरी आत्मज आर.एल. चौधरी
निवासी जी/124, गुलमोहन कॉलौनी
बावडियाकलां भोपाल .................अनावेदक

---

श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री श्रेयराज सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदक

---

**:: आ दे श ::**

**(आज दिनांक 12/4/19 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक राजधानी परियोजना नजूल टी.टी. नगर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बरखेड़ी कलां, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 31, 32, 35/2/4 रकबा 2.00 एकड़ भूमि के सीमांकन कराये जाने हेतु तहसीलदार, राजधानी परियोजना नजूल टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/अ-12/2017-

18 दर्ज कर दिनांक 1-12-2017 को सीमांकन आदेश पारित किया गया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक क्रमांक 1 नोएडा, उत्तरप्रदेश में निवास करता है, अतः सूचना पत्र का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र पर किया जाना चाहिए था, जबकि सूचना पत्र का प्रकाशन भोपाल म.प्र. के समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि सीमांकन के पूर्व ही श्रीमती जॉन देवगन का स्वर्गवास हो चुका था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विधिक वारिसान को बिना अभिलेख पर लिये मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में उठाई गई आपत्तियों के संबंध में सुनवाई हेतु कोई तिथि नियत नहीं की गई और न ही आवेदक पक्ष की आपत्ति क्यों विधिसंगत नहीं है, इस संबंध में कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया गया । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आवेदक पक्ष का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि जो फील्डबुक तैयार की गई है, उसके साथ संलग्न नक्शे में दो तरफ रोड है, इसका उल्लेख पंचनामें पर है, परन्तु फील्डबुक पर जो दूसरी तरफ भी रोड बना है, वह कितने वर्गफीट का है, नक्शे में मार्किंग नहीं है, जो कि सीमांकन प्रक्रिया के विपरीत है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 129 के अंतर्गत स्थायी सीमा चिन्हों के आधार पर सीमांकन किए जाने का प्रावधान है, किन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा किन स्थायी सीमा चिन्हों के आधार पर सीमांकन किया गया है, इसका कोई उल्लेख, पंचनामा एवं फील्डबुक में नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता में दिये गये प्रावधान से हटकर मशीन से सीमांकन किया गया है, जो कि विधि विपरीत है । यह भी कहा गया कि मौके पर कोई कम्प्यूटर व प्रिंटर उपलब्ध नहीं था, जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा फील्डबुक कम्प्यूटर से प्रिंट आउट होना दर्शित किया है । अतः स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा बाद में सिस्टम सेट कर प्रिंट आउट दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि बटांकन के पूर्व से लगभग 35 वर्ष से उभय पक्ष की भूमियों के बाजू से सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है, जिसे अनावेदक द्वारा स्वयं की होना दर्शाते हुए बटांकन कराया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 129 के नियम 3(2) के अनुसार विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है, इसलिए सीमांकन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2016(2) आर.एन. 31 (उच्च न्यायालय), 2006 आर.एन. 218 (उच्च न्यायालय), 2015 आर.एन. 497, 2015 आर.एन. 593, 2018 (2) आर.एन. 110, 2015 आर.एन. 14, 2014 आर.एन. 69 एवं 2005 आर.एन. 33 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही की सूचना समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित हुई है और आवेदक पक्ष सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित भी हुआ है, अतः आवेदक का यह तर्क सही नहीं है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिला । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण किया जाकर विधिवत सीमांकन किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक रोड होने के संबंध में आवेदक द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है आवेदक पक्ष द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कब कराया है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि वे पहले अपनी भूमि का विधिवत सीमांकन करायें, तब स्थिति स्पष्ट होगी । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कब और कितनी भूमि क्रय की और कब और किस आधार पर काबिज हुए, इस संबंध में आवेदक पक्ष द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं । उनके द्वारा सीमांकन आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण में संलग्न सीमांकन पंचनामें के अनुसार सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित था । मृतक जॉन देवगन के नाम का उल्लेख होने की स्थिति इसलिए बनी कि मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही नहीं की गई । विधिवत बटान के बाद सीमांकन हुआ है । आवेदक पक्ष ने जिस सार्वजनिक रास्ते का उल्लेख किया है, उसके समर्थन में किसी भी स्तर पर कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण पेश नहीं किया गया है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक राजधानी परियोजना नजूल टी.टी. नगर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-12-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर